न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **10/2017** रसद

श्री रणसिंह पिता वरदीसिंह जी पॅवार, निवासी कमोल, उचित मुल्य की दुकान, प्राधिकार पत्र संख्या 1585/2005, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....**अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमती पिंकी भाटी तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....**विपक्षी**

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वितीय उदयपुर प्रकरण संख्या 23/2016 रसद तारीख आदेश 07.02.2017 अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः— 1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री विजयसिंह राठौड़, पैरोकार सरकार

—: निर्णय :—

दिनांकः—14.11.17

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वितीय उदयपुर के प्रकरण संख्या 23/16 रसद निर्णय दिनांक 07.02.17 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध राशन सामग्री वितरण की शिकायत पर तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक गोगुन्दा द्वारा दिनांक 01.03.16 को जॉच की एवं जॉच रिपोर्ट 02.03.16 को पेश की। जिस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया एवं दिनांक 21.03.16 को अपीलार्थी को निलम्बित करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था उचित

मुल्य की दुकान जी.एस.एस सुआवतो का गुड़ा को दी गई तथा नोटिस का जवाब अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया। केवल मात्र सरपंच से आपसी अदावट होने से गलत शिकायत होने पर प्रकरण दर्ज कर प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि अपीलान्ट 2005 का प्राधिकृतपत्र धारी हैं। विगत 12 वर्षो से लगातार सेन्टर का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित कर रहा हैं। कभी भी अनियममितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। परन्तु वर्तमान में सरपंच साहब के कहने से व पार्टी पोलिटीक्स के कारण गलत केस बनाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किस वैध आधार के प्राधिकार पत्र खारीज कर दिया।

अपनी अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना पत्र मियाद कण्डोन का भी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं। जिसमें निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की अनुपस्थिति में दिनांक 07.02.17 को लाईसेन्स निरस्त करने का जो आदेश पारित किया गया जिसका ज्ञान अपीलार्थी को प्रथम बार दिनांक 14.08.17 को हुआ। उसी दिन नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। परन्तु कर्मचारीयो की हड़ताल होने से प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई। अतः दिनांक 07.02.17 से 14.08.17 तक का समय कण्डोन किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी की अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है नाही उसका उल्लंघन करने का कोई उद्धेश्य ही था। अपीलार्थी के जवाब का भी गलत रूप से अधिनस्थ न्यायालय में वर्णन किया गया हैं।

वक्त निरीक्षण अपीलार्थी उदयपुर बिल कटवाने आया था जिसकी जानकारी डी.एस.ओ. कार्यालय को थी। उसके बाद भी दुकान बन्द पायी जाने पर आरोप लगाया गया। अपीलान्ट 8 वर्षो से भी अधिक समय से दुकान का संचालन कर रहा हैं। आज दिनांक तक किसी भी वैध उपभोक्ताओ के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। नाही इसकी कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता द्वारा आजदिनांक तक ही की गई। परन्तु मात्र सरपंच से आपसी अदावट होने के कारण उसकी शिकायत पर सारी एकतरफा कार्यवाही की गई। मात्र काल्पनिक आरोपो पर प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा फरवरी 2016 के बाद में केरोसीन का उठाव भी नहीं किया तो वितरण किस आधार पर करता। 2–3 राशन कार्डो में भिड़भाड़ ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि राशन कार्ड में 3 की जगह 2 लीटर इन्द्राज कर दिया गया। किसी भी उपभोक्ता को राशन सामग्री कम नहीं दी गई। अपीलान्ट के ग्राम सभा में उपस्थित होने पर भी सरपंच द्वारा आपसी अदावट से राशन सामग्री के वितरण की तस्दीक नहीं की जाती हैं। उचित मुल्य की दुकान पर नेटवर्क नहीं आने से मशीन का उपयोग नहीं किया गया। अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई गम्भीर अनियमितता नहीं की गई नाही कोई खाद्य पदार्थो की कालाबाजारी की गई। स्टॉक के मुकाबले रजिस्टर भी पुरे पाये गये। मात्र छोटे छोटे आरोप लगाकर सरपंच के कहने से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र खारीज कर दिया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वितीय उदयपुर का आदेश दिनांक 07.02.17 का निरस्त फरमाया जावें।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी की अपील का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रथम तो अपीलार्थी द्वारा 6 माह पश्चात् अपील प्रस्तुत कि गई है जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त योग्य हैं एवं अपीलार्थी की शिकायत जिला रसद अधिकारी उदयपुर के समक्ष ग्रामवासी कमोल द्वारा की गई। जिस पर प्रतर्वत निरीक्षक

गोगुन्दा पिंकी भाटी द्वारा उचित मुल्य की दुकान कमोल की जॉच की गई। वक्त जॉच कुल 10 प्रकार की अनियमितताएॅ अपीलार्थी के विरूद्ध मौके पर पायी गई। अनियमितताओ के संबंध में अपीलार्थी को दिनांक 03.03.16 को नोटिस सर्व किया गया। जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.06.16 को प्रस्तुत किया गया। परन्तु अपने जवाब में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि जो अनियमितताएॅ अपीलार्थी पर आरोपित की गई है जिसका खण्डन होता हो। मौके पर कुछ राशन कार्ड उपभोक्ताओ से प्राप्त कर उनकी छायाप्रतियॉ भी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जॉच में ली गई है जिसमें अपीलार्थी द्वारा मात्र फरवरी 2016 में केरोसीन का वितरण किया जाना बताया गया हैं। जनवरी 2016 का केरोसीन उसके द्वारा वितरण नहीं किया गया। इसी प्रकार डीलर द्वारा मौके पर दो दो लीटर केरोसीन उपभोक्ताओ में वितरीत किया गया जबकि राशनकार्डो में तीन तीन लीटर दर्ज किया गया हैं। डीलर द्वारा जो राशन सामग्री प्राप्त होती है उसके स्टॉक की ग्राम सभा में तस्दीक भी नहीं करायी जाती हैं। सभी उचित मुल्य दुकानदानो को स्पष्ट आदेश दिये गये थे कि राशन सामग्री का वितरण हर हालत में पीओएस मशीन से ही किया जाना है उसके उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा पीओएस मशीन का उपयोग नहीं कर राशन सामग्री का वितरण रजिस्टर से ही किया जाता रहा हैं। मौके पर भोले भाले ग्रामीण उपभोक्ताओ को धमकाता हैं। उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता हैं। उचित मुल्य दुकानदार की शिकायत तत्समय भारतीय जनता पार्टी मण्डल सायरा द्वारा भी की गई। प्रधान पंचायत समिति सायरा द्वारा भी की गई। उचित मुल्य की दुकान कमोल से लगे उपभोक्ताओ में राशन डिलर के प्रति उसके व्यवहार को लेकर काफी आक्रोश हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत कमोल द्वारा भी प्रस्ताव लेकर अपीलार्थी से वितरण कार्य नहीं कराया जाकर सहकारी समिति के माध्यम से वितरण कार्य करवाये जाने हेतु पारित किया गया हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र कानुन सम्मत कार्यवाही कर

नियमो के परीपेक्ष्य में ही निरस्त किया गया हैं। जो सही हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारीज करना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अध्ययन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि प्रकरण का निस्तारण मियाद के बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना न्यायसंगत हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रवर्तन निरीक्षक गोगुन्दा की जॉच रिपोर्ट में दिनांक 17.03.16 का गहन अध्ययन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी की शिकायत प्राप्त होने पर मौके की जॉच कर उपस्थित मौतबिरानो के बयान लिये जाकर जॉच की ईतिश्री कर ली। जबकि होना यह चाहिये था कि मौके पर मौतबिरानो के समक्ष दुकान की चिट चस्पा कर डीलर की उपस्थिति में आगामी कार्य दिवस पर गोदाम में उपलब्ध स्टॉक के मुकाबले भौतिक सत्यापन खाद्य पदार्थो का किया जाना चाहिये था। जॉच दिवस में जिन जिन वैध उपभोक्ताओ द्वारा खाद्य सामग्री प्राप्त की गई उन सभी से सम्पर्क कर उनके राशनकार्डो से रेकार्ड का मिलान कर उनके द्वारा कितनी खाद्य सामग्री प्राप्त की गई। जॉच विस्तृत की जानी चाहिये थी। मात्र कार्यालय में उसका रेकार्ड प्राप्त कर रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई। जिसमें छोटी मोटी 10 गलतियॉ निकालते हुए प्रकरण दर्ज करवा दिया गया। 10 गलतियो में से ऐसी कोई भी गम्भीर अनियमितता नहीं है जिससे अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र ही निरस्त कर दिया जावें। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को संदेह का लाभ देते हुए अपीलार्थी द्वारा जॉच में सहयोग प्रदान नहीं किये जाने के फलस्वरूप व रेकार्ड का व्यवस्थित संधारण नहीं करने से अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 23/16 आदेश दिनांक 07.02.17 को खारीज किया जाकर अपीलार्थी की सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की जाकर उसका प्राधिकार पत्र संख्या 1585/2005 तहसील

गोगुन्दा का बहाल किये जाने एवं उचित मुल्य की दुकान कमोल द्वारा पुनः सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जमा करायी जाने पर वितरण व्यवस्था श्री रणसिंह पिता वरदीसिंह पॅवार निवासी कमोल को पुनः दिये जाने के भी आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर,
उदयपुर